अध्याय-6

निष्कर्ष एवं सिफारिशें

6.1 निष्कर्ष

पीजीसीआईएल में ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए योजना दीर्घावधि में हस्तांतरण क्षमता में सवंर्धन तथा नई उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत निर्गमन के लिए योजना ट्रांसमिशन प्रणाली में मिलान न होने की योजना के अभाव में वार्षिक नेटवर्क योजना तैयार न करने के लिए चिन्हित की गई थी।

सीटीयू को हितधारक जैसे एसटीयू के साथ समन्वय करने तथा संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वयन में राष्ट्रीय विद्युत योजना (एनईपी) के आधार पर नेटवर्क योजना तैयार करने के लिए अधिदेशित किया गया था। ट्रांसमिशन प्रणाली के लिए संभावित क्षमता संवर्द्धन को जानकारी हेतु एसटीयू तथा अन्य हितधारकों को एक सुदृढ़ नेटवर्क योजना प्रभावी योजना तथा समन्वय यंत्र के रूप में काग्र करने के लिए आवश्यक थी। तथापि, सीटीयू द्वारा कोई नेटवर्क योजना तैयार नहीं की गई नई लाईनें बिछाने से पहले मौजूदा लाईनो के अद्यतन के लिए संभावनाओं पर विचार करने के लिए भी नेटवर्क योजना आवश्यक थी। नेटवर्क योजना के अभाव में, नई लाइनें बिछाने से पहले मौजूदा लाईनों के अद्यतन/पुन: इष्टतम करने की आवश्यकता पर आकलन और ध्यान केंद्रित करने के लिए एक संरचनाबद्ध तंत्र अनुपलब्ध था। इसके अतिरिक्त, पीजीसीआईएल ने सीईआरसी समिति/ पीओएसओसीओ द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार मौजूदा ट्रांसमिशन प्रणाली को अद्यतित करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं किये थे जिसके परिणामस्वरूप कुछ लाईनों में ट्रांसमिशन बाधाएं आई और अधिक लोडिंग की गई।

पीजीसीआईएल ने चार वर्षों हेतु कुल हस्तांतरण क्षमता (टीटीसी) घोषणा की विशिष्ट नियामक आवश्यकता के प्रति दीर्घावधि में हस्तांतरण क्षमता के संवर्धन के लिए अपनी योजनाएं/ लक्ष्यों की घोषणा नहीं की है। टीटीसी की दीर्घावधि घोषणा के अभाव में, विद्युत ट्रांसफर करने के लिए इसकी क्षमता के संदर्भ रूप में कम्पनी ने वास्तविक निष्पादन का आकलन करने के लिए कोई मानदंड नहीं था। 12वीं पंच वर्षीय योजना के अंत में, परे-उरे को छोड़कर सभी क्षेत्रों में प्राप्त की गई वास्तविक टीटीसी एनईपी के अनुसार प्राप्य लक्ष्यों का 50 *प्रतिशत* से कम था। एनईपी में संभावनाओं के अनुसार उपयुक्त टीटम्सी के प्राप्त न किये जाने से मार्जन की उपलब्धता को कम कर दिया जिसके कारण लघु अवधि विद्युत संव्यवहार का प्रभावित किया।

यद्यपि, ट्रांसमिशन परियोजनाओं को कम से कम छ: महीनों तक उत्पादन परियोजनाओं से पहले आरंभ करने की आवश्यकता थी, आठ ट्रांसमिशन परियोजनाओं में से छ: को लिक्ड उत्पादन परियोजनाओं के आरंभ करने के बाद पूरा किया गया था। इसके परिणामस्वरूप् उत्पादन परियोजनाओं और संबंधित ट्रांसमिशन परियोजनाआं को आरंभ करने के बीच कोई मेल नहीं था। इसके

परिणामस्वरूप कम्पनी को पांच उत्पादन परियोजनाओं के संबंध में अंतरिम व्यवस्था करती थी जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ और सहायक क्षेत्रों में संकुलन हुआ।

ट्रांसमिशन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब हुआ जो पीजीसीआईएल द्वारा वन प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब, वन प्रस्ताव के साथ अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने, भूमि अधिग्रहण में लिये गये समय, पीजीसीआईएल द्वारा फ्रंट/ साईट उपलब्ध कराने में विलंब के कारण था।

18 चयनित परियोजनाओं में से केवल दो तय समय के भीतर पूर्ण की गई जबकि 13 परियोजनाएँ 04 से 71 महीने के विलंब से पूर्ण की गई। बकाया तीन परियोनाओं में प्रत्याशित विलंब 06 से 109 महीने के बीच थे। पीजीसीआईएल ने परियोजनाओं की समय पर कार्यपूणता पर सीईआरसी विनियमों के अनुसार अनुमत की जाने वाली इक्विटी पर अतिरिक्त आय के रूप में परियोजना काल में ₹112.51 करोड़ प्राप्त करने का अवसर भी गँवा दिया।

प्री-अवार्ड और पोस्ट-अवार्ड चरण दोनों में परियोजना निगरानी बैठकें निर्धारित अंतराल के अनुसार नहीं की गई थी और बाद की बैठकों में प्रबंधन द्वारा पाये गये महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, पूर्ण की गई लाइनों का भी ईष्टतम उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि 30 चयनित लाइनों में से 18 में उच्च विद्युत प्रवाह भी उनकी संबंद्ध अधिकतम लोड क्षमता से 40 *प्रतिशत* से कम था। इस प्रकार, उचित निगरानी तंत्र की भी मौजूदा लाईनों की उपयोगिता के निर्धारण के लिए आवश्यकता थी।

6.2 सिफारिशें

पूर्ववर्ती अध्यायों में चर्चा किये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर ट्रांसमिशन परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की गई है:

1. लघु अवधि ओपन एक्सेस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, बदलाव की ज़रूरत का आंकलन करने हेतु विद्यमान विनियमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है।
2. मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एनईपी योजना के आधार पर वार्षिक नेटवर्क योजना सीटीयू तैयार कर सकता है।
3. एक विस्तृत पुन: ईष्टतम अध्ययन सामान्य तौर पर मितव्ययिता और दक्षता और विशेष रूप से विश्वसनीयता, लचीलापन, आईआर टीटीसी तथा आईएसटीएस एसटीयू टीटीसी में सुधार करने के लिए एक स्वतंत्र समूह (आंतरिक तकनीकी लेखापरीक्षा टीम) द्वारा किया जा सकता है।
4. सीटीयू/ पीजीसीआईएल बेमेल होने से बचने के लिए अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली के साथ-साथ संबंधित उत्पादन परियोजनाओं के साथ अन्तर राज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली की समन्यित योजना बनाने और

क्रियान्वयन को सुनिश्चित कर सकता है। पीजीसीआईएल अंतर संबंधित ट्रांसमिशन योजनाओं की स्थिति की समीक्षा तथा निगरानी के लिए तथा योजना सॉफ्टवेयर के लिए ट्रांसमिशन डेटा फाईलों को अद्यतित करने के लिए सांस्थानिक तंत्र भी तैयार कर सकता है।

5. पीजीसीआईएल नई लाईन के निर्माण का निर्णय करने से पहले मौजूदा ट्रांसमिशन लाईनों के उन्नयन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए किये गये प्रयासों को रिकॉर्ड कर सकता है।
6. पीजीसीआईएल अपनी वैबसाईट पर इसे दर्शा सकता है और सीईआरसी विनियमों के अनुसार चार वर्षों की अवधि में टीटीसी के मुख्य मानदडों की निगरानी कर सकती है।
7. पीजीसीआईएल परियोजना क्रियान्वय को शीघ्र करने के लिए निर्दिष्ट समय में बीओक्यू और एनआईटी लागत अनुमान तैयार करने तथा वन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण के लिए अग्रिम कार्रवाई कर सकती है।
8. पीजीसीआईएल प्रभावी निगरानी द्वारा पीजीसीआईएल द्वारा नियंत्रित किये जाने वाले घटकों के कारण परियोजना क्रियान्वयन में विलंब को न्यूनतम करने के लिए कदम उठा सकती है।

नई दिल्ली
दिनांक: 30 जुलाई 2020

(शुभा कुमार)
उपनियंत्रक महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)
एवं अध्यक्षा, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 31 जुलाई 2020

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक